

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 फरवरी 2014—फाल्गुन 3, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. एफ-19-01-2005-सत्रह-मेडि-एक.—खाद्य सुरक्षा और मानक नियम-2011 के नियम-2.1.3 के उप नियम (2) के साथ पठित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी को, जिनके पास विहित अर्हता है और जो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत हैं, उनकी अधिकारिता के भीतर स्थानीय क्षेत्रों के लिये उक्त अधिनियम और उक्त नियमों के अधीन कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> February 2014

No. F-19-01-2005-XVII-Med.1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 37 of the Food Safety and Standards Act-2006 (No. 34 of 2006), read with sub-rule (2) of Rule 2.1.3 of the Food Safety and Standards Rule-211, the State Government, hereby authorise Shri Surya Prakash Shrivastava, Health Officer, having the prescribed qualification and working under the Urban Administration and Development Department, as the Food Safety Officer for local areas within his jurisdiction to perform the functions and duties of the Food Safety Officer under the said Act and said rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.